न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

गीता बाई बनाम कल्याण किस्म मुकदमा – धारा 223 (F.D.) अपील संख्या 2024/110

अभिभाषक अपीलांट – श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल रेस्पोडेंट – श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रविन्द्र खण्डेलवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21–11–2025	पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर आदेश हेतु पेश हुई। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2063–2066 ग्राम बमूलियाकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां के खाता सं. 51 खसरा नं. 164, 259, 903, 995, 996, 900 कुल किता 6 कुल रकबा 13.6900 हेक्टर आराजी चौथमल, कल्याणमल वल्द रणमल 2/3 बाट बराबर लटूर सिंह पुत्र श्री बक्श 1/3 के खाते दर्ज रिकार्ड है। इस आराजी के सन्दर्भ में सहखातेदार कल्याणमल द्वारा प्रकरण संख्या 227/2010 से अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवायी अपने निर्णय दिनांक 29.09.2010 से मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार अन्ता को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार अन्ता से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.03.2011 से ग्राम बमूलियाकलां की आराजी खसरा नं. 164 की 1.70 दक्षिणी, खसरा नं. 259 की 0.46 पूर्वी, खसरा नं. 900 की 1.51 दक्षिणी तथा 995 की 0.89 पश्चिमी कुल किता 4 कुल रकबा 4.35 हेक्टर भूमि वादी के पृथक खाते दर्ज कर शेष वादग्रस्त भूमि शेष सहखातेदारान के संयुक्त खाते में उनके हिस्से अनुरूप दर्ज रखने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दो अपीले अपील संख्या 2024/109 व अपील संख्या 2024/110 धारा 96 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं फाईनल डिक्री में वर्णित विवादित आराजी रकबा 13.69 हेक्टर में अपीलांट के पिता बक्श जी का 1/3 हिस्सा निहित था। बक्श जी की मृत्यु बाद इसके वारिसान वादीगण के खाते दर्ज कर दी गई, जबकि अपीलांट खातेदार बख्श जी की पुत्री है अर्थात् लटूर सिंह की की बहन है जिसमें लटूर सिंह के साथ अपीलांट का भी हक व अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का 1/3 हिस्सा मानते हुए फाइनल डिक्री पारित की इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रभावित पक्षकार एवं हितबद्ध पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है।	

...2

(दीप्ति रामचेन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 227/2010 में अपने निर्णय प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से वादी कल्याणमल पुत्र रणमल का 1/3 हिस्सा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2063–2066 के अनुसार विभाजित कर पृथक खाते दर्ज करने का आदेश दिया है। नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2066 के अनुसार विवादित आराजी में चौथमल, कल्याणमल पुत्र रणमल का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी 2/3 हिस्से में से वादी कल्याणमल का 1/3 हिस्सा विभाजित कर पृथक खाते दर्ज करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत प्रतीत होता है। प्रार्थिया अपीलांट ने स्वयं को धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में बक्श जी की पुत्री बताते हुए बक्श जी के 1/3 हिस्से में अपने भाई लटूर सिंह के साथ अपना हिस्सा होना अंकित किया है। नकल जमाबंदी सम्वत 2063–2066 में लटूर सिंह पुत्र श्री बक्श का 1/3 हिस्सा दर्ज है। लटूर सिंह एवं अन्य सहखातेदार के हिस्से के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री दिनांक 31.03.2011 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि शेष वादग्रस्त भूमि शेष सहखातेदारान के संयुक्त खाते में उनके हिस्से अनुसार दर्ज रहेगी। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.09.2010 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.03.2011 से प्रार्थिया अपीलांट के हित प्रभावित नहीं होते है।

प्रार्थीगण रेस्पोडेंट कम 9, 10, 11 के अधिवक्ता द्वारा आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नकल निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता दिनांक 21.03.2022, नकल निर्णय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग दिनांक 18.07.2023 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में प्रार्थिया अपीलांट द्वारा लटूर सिंह के वारिसान एवं रेस्पोडेंट कम 9, 10, 11 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण सं. 01/2018 अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की आदेशिका एवं दावे की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया अपीलांट ने अपने भाई लटूरसिंह के हिस्से की आराजी में से अपने हिस्से की घोषणा, विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया हुआ है। प्रार्थिया अपीलांट के हिस्से का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन नियमित वाद संख्या 01/2018 के माध्यम से ही होना है। वर्तमान अपीलाधीन निर्णय प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से प्रार्थिया अपीलांट के हित विधिक रूप से प्रभावित नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी को खारिज करना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलांट इसी स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी